न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

अनुमति वाद संख्या–107 / 2024

U/S 46(1-b) of CNT Act

मंगरा मांझी

बनाम्

सुरेश किशोर राम

–: आदेश :–

आवेदक मंगरा मांझी, पिता–स्व0 कैल मांझी उर्फ जोजा दुसाध, ग्राम–चितरपुर, पो0–भैसादोन, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46(1) (बी) के तहत् क्रेता सुरेश किशोर राम, पिता–स्व0 हीरा राम रजक, ग्राम–चकला, थाना–चन्दवा, जिला–लातेहार के साथ उचित बाजार मूल्य पर क्रय–विक्रय के लिए आपसी सहमति व्यक्त करते हुए मौजा–चितरपुर अंचल–बालूमाथ के खाता–33 प्लॉट संख्या–1210 रकबा–1.13$^1/_2$ ए0, प्लॉट संख्या–1194, रकबा–0.24 ए0 एवं प्लॉट संख्या–425, रकबा–0.25 ए0 कुल रकबा–1.62$^1/_2$ एकड़ भूमि की बिक्री की अनुमति प्रदान के लिए दाखिल आवेदन पर कार्यवाही प्रारम्भ किया गया। आवेदक के आवेदन पर अंचल अधिकारी, बालूमाथ से भूमि का जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी।

अंचल अधिकारी, बालूमाथ के पत्रांक–1449 दिनांक 12.12.2024 से प्राप्त भूमि का जांच प्रतिवेदन में वर्णित है कि मौजा–चितरपुर के खाता–33 प्लॉट संख्या–1210 रकबा–1.13$^1/_2$ ए0, प्लॉट संख्या–1194, रकबा–0.24 ए0 एवं प्लॉट संख्या–425, रकबा–0.25 ए0 कुल रकबा–1.62$^1/_2$ एकड़ भूमि का मांग पंजी0–II में आवेदक के नाम पर जमाबंदी चलता है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, जो एक ही जिला के निवासी है। आवेदक को मौजा–चितरपुर के खाता–33 प्लॉट संख्या–1210 रकबा–1.13$^1/_2$ ए0, प्लॉट संख्या–1194, रकबा–0.24 ए0 एवं प्लॉट संख्या–425, रकबा–0.25 ए0 कुल रकबा–1.62$^1/_2$ एकड़ भूमि बिक्री करने के बाद

आवेदक के पास रकबा–2.87¾ एकड़ भूमि शेष बचता है। अंचल अधिकारी, बालूमाथ द्वारा आवेदक को भूमि बिक्री के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुशंसा किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, बालूमाथ द्वारा जांच प्रतिवेदन में आवेदक को भूमि बिक्री की अनुमति प्रदान करने के लिए किये गये अनुशंसा के आलोक में आवेदक मंगरा मांझी, पिता–स्व0 कैल मांझी उर्फ जोजा दुसाध, ग्राम–चितरपुर, पो0–भैसादोन, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार को सुरेश किशोर राम, पिता–स्व0 हीरा राम रजक, ग्राम–चकला, थाना–चन्दवा, जिला–लातेहार के साथ उचित बाजार मूल्य पर मौजा–चितरपुर खाता–33 प्लॉट संख्या–1210 रकबा–1.13½ ए0, प्लॉट संख्या–1194, रकबा–0.24 ए0 एवं प्लॉट संख्या–425, रकबा–0.25 ए0 कुल रकबा–1.62½ एकड़ भूमि की बिक्री की अनुमति प्रदान की जाती है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी, बालूमाथ एवं जिला अवर निबंधक, लातेहार को भेजे तथा अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

8-10-12 | 8-10-12
उपायुक्त, लातेहार। | उपायुक्त, लातेहार।

Digitally signed by UTKARSH GUPTA
Date: 2025.05.14 14:45:13 +05:30
Location: 192.168.137.1